न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4227/2004/उदयपुर

1– श्रीमती रूकमण कुंवर पत्नि श्री फतहसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरवाणिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

------ अपीलांट

बनाम

1– फतहसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मोरवाणिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2– श्रीमती लता पत्नि श्री तेजराम वर्मा, निवासी मुल्ला तलाई, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3– सुल्तानसिंह पुत्र श्री बदनसिंह जाति राजपूत निवासी नाथावतों का गुड़ा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
4– श्रीमती हीराबाई पत्नि श्री सोहनसिंह।
5– श्रीमती पन्ताबाई पत्नि श्री रामसिंह दोनों जाति राजपूत निवासी कुंडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
6– श्रीमती फेफी बाई पत्नि उदयसिंह (मृतक) जरिये वारिसान –
6/1. उषा कंवर पुत्री शंभूसिंह पत्नि गोरधनसिंह सोलंकी निवासी गांव पीपल्या हाल निवासी सदड़ा रोड़ जुनागढ़ बाजार मण्डी अहमदाबाद (गुजरात)
6/2. विजयसिंह पुत्र श्री शंभूसिंह हनवासी कमलिया का गुड़ा, पोस्ट देलवाड़ा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
7– लहरसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी माताजी का खेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर।

------- रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री उत्तम प्रकाश आमेटा, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री सुनील पारीक, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 से 5

निर्णय **दिनांक :– 16.11.2023**

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर की अपील संख्या 584/03 में पारित निर्णय दिनांक

अपील/डिक्री/टीए/4227/2004/उदयपुर
रूकमण कंवर बनाम फतेहसिंह

26–07–2004 बउनवानी फतेह सिंह बनाम श्रीमती रूक्मण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपजिला कलक्टर, गिर्वा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादियां को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वर्णित आराजीयात को विक्रय नहीं करे और वादियां के हिस्से की जमीन की सीमांकन कर उसका बंटवारा कराया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 से 4 में उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वादियां का वाद खारिज करने का अनुरोध किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकीयात विरचित कर उनका विस्तृत विवेचन कर उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 28–10–2003 को वादिया का वाद डिक्री कर दिया। जिस निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26–07–2004 से अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2003 अपास्त कर दी। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं लिखित बहस में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रतिवादी ने भूमि मौरूसी होना बताया परन्तु उदयसिंह पिता जवान सिंह के पिता एवं दादा के खाते की नकल पेश नहीं की जबकि वादिया ने भूमि उदयसिंह स्वयं के खातेदारी की होना जमाबन्दी व प्रदर्शो से प्रमाणित कराया है। इकरारनामा दिनांक 30–04–1979 एवं वसीयतनामा

प्रदर्श 11 व 12 एक्जीविट हुई जिस पर प्रतिवादी ने आपत्ति नहीं की। इकरार व वसीयतनामा वसीयतकर्ता उदयसिंह पुत्र भवानीसिंह लेखक, वादिया पी.डब्ल्यू. 1 व मदनसिंह पी.डब्ल्यू. 2 से प्रमाणित हुआ है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनदेखा किया है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयतकर्ता की उम्र 25 वर्ष गलत पढ़ी है जबकि बयान को देखने से उम्र 75 वर्ष है। इसी प्रकार वादिया की उम्र 3 वर्ष बताई है, 3 वर्ष की लड़की से कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है। वसीयतनामा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है तथा वसीयतनामें को प्रतिवादी ने सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। उदयसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी ने तथ्य को छिपाते हुए अभियान में अपनी एवं अपनी माता के नाम नामान्तरकरण विरासत का पारित कराया है जबकि नामान्तरकरण से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है। बहस जारी रखते हुए आगे तर्क दिये कि वादी ने विद्वान परीक्षण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा डिक्री कर वादियां को खातेदार काश्तकार घोषित किया है जिसके विरूद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने अपने आक्षेपित आदेश से अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया है। हस्तगत प्रकरण में उदयसिंह पुत्र जवानसिंह ने एक वसीयतनामा दिनांक 03-05-1979 को लिखा तथा इकरारनामा दिनांक 30-04-1979 का है जो दोनों दस्तावेज एक्जीविट है। उदयसिंह के मरने पर उसकी आराजी का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण ने अपने नाम करा लिया तथा अपीलांट को घर से निकाल दिया। वसीयत का रजिस्टेशन जरूरी नहीं है। इकरारनामा पारिवारिक समझौता था तथा उसका भी रजिस्टेशन जरूरी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं0 1 की परिधि से बाहर जाकर उक्त तनकी पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पलट दिया कि विवाह के समय वादियां की उम्र 6 वर्ष थी। इस संबंध में अपीलांट का निवेदन है कि तनकी सं0 1 में मात्र जो विवादक था यह था कि उदयसिंह ने वादियां के पक्ष में दिनांक 03-05-1979 को वसीयत की अथवा नहीं। विवाह के वक्त

वादियां पूर्ण व्यस्क थी तथा बयानों में उसकी उम्र गलत लिखी गई है। इसलिए इस आधार पर वादिया का पक्ष में साबित वसीयत को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। तनकी सं0 3, 4 व 6 अधीनस्थ न्यायालय ने वादियां के विरूद्ध तय करने में विधिक भूल की है। अभिलेख पर उपलब्ध शहादत से साबित था कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार स्व0 उदयसिंह थे तथा उनके द्वारा वादियां के पक्ष में लिखि गई वसीयत दिनांक 03–05–1979 के आधार पर उक्त भूमि के आधे हिस्से की वादियां खातेदार है तथा शेष आधा हिस्सा प्रतिवादीगण का विरासत के आधार पर है तथा वादियां एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ एवं कानूनन दोनों ही स्थिति सहखातेदार जैसी है तथा प्रत्येक सहखातेदार प्रत्येक इंच भूमि पर विधिवत् विभाजन होने तक कब्जा होना माना जाता है। तनकी सं0 3 वसीयत पर प्रोबेट लाने से संबंधित है। उक्त तनकी साबित नहीं कराने के कारण उक्त तनकी का निर्णय उसके विरूद्ध किया गया है। तनकी सं0 4 विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादियां के विरूद्ध निर्णय करने में कानूनन भूल की है कि खातेदार के निर्वसीयती मर जाने पर ही विरासत का प्रश्न उत्पन्न होगा। मौजूदा प्रकरण में खातेदार के द्वारा वादियां के पक्ष में आधे हिस्से की वसीयत निष्पादित की जा चुकी थी। इसलिए वसीयत के होते हुए विरासत के आधार पर जो रिकॉर्ड निर्मित किया गया है, वह पूर्णतया अविधिक था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2004 को निरस्त किया जाकर विद्वान उपजिला कलक्टर, गिर्वा का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2003 को यथावत् रखने का निवेदन किया। उन्होंने अपने समर्थन में 2022 आर0आर0टी0 पेज 1034, 921, 2023 आर0आर0टी0 पेज 880, 2017 आर0आर0टी0 पेज 95, 2022 आर0आर0टी0 (1) पेज 220 के न्याय दृष्टान्त पेश किये गये।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिए कि उदयसिंह की मृत्यु सन् 1988 में हुई। विरासत का इंतकाल खुला था। इकरारनामा व वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड है जो फर्जी दस्तावेज है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री

गलत जारी की। विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही है। अपीलांटा होमगार्ड उदयपुर में नौकरी कर रही है। वसीयत का अधिकार उदयसिंह को नहीं था। इकरारनामा की शर्तों के आधार पर हिन्दू विवाह अधिनियम में मान्य नहीं है। इकरारनामा के आधार पर घोषणा का दावा नहीं लाया जा सकता है। धारा 63 व 68 में हिन्दू सक्सेशन एक्ट वसीयत साबित नहीं करायी है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील नं0 3351/2014 बउनवान मीना प्रधान बनाम कमला प्रधान, 2016 आर0बी0जे0 पेज 41, 1984 आर0आर0डी0 पेज 227 के उद्धरण प्रस्तुत किये गये।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान उपजिला कलक्टर, गिर्वा ने अपने निर्णय दिनांक 28–10–2003 में अंकित किया कि वादियां का वाद डिक्री किया जाता है।

8– विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2004 में अंकित किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2003 निरस्त की जाती है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है विद्वान न्यायालय उपजिला कलक्टर, गिर्वा उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28–10–2003 में तनकी नं0 1 के विवेचन में अंकित किया है कि वादिया द्वारा ई. एक्स.–11 इकरारनामा दिनांक 30–04–1979 प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर उसमें उल्लेख है कि उदयसिंह पिता जवानसिंह देवड़ा निवासी मौरवणिया का रहने वाला हूं। श्रीमती रूकमण जोजो फतेसिंह को लिख देता हूं कि मेरा लड़का फतेसिंह पहले शादिशुदा है। उसके बाल–बच्चे नहीं होने से वापस शादि करा रहा हूं सो तुझे किसी प्रकार की तकलीफ होगी नहीं और जो तकलीफ होगी तो मेरा निज खाता मिलकियत में 1/2 तुम्हारे नाम पर कायदे अनुसार खाता व बंटवाड़ा कर देवूगा और तुमको

किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और मेरी अदम मौजूदगी में मेरी मिलकियत यह जमीन 1/2 तुम्हारे नाम दर्ज करवा देवूगा। तुम खुद इसी इकरार की जैर तैर तुम्हारे नाम दर्ज करवा देवें जिस पर मेरा बेटा फतेसिंह का कोई उज्र नहीं होगा। इसी तरह ई.एक्स.–12ए वसीयत नामा दिनांक 03–05–1979 में उदयसिंह द्वारा रूकमण कंवर के पक्ष में वसीयत की गयी है जिसमें उदयसिंह पिता जवानसिंह देवड़ा निवासी मोरवाणिया ने लिखा है कि मु0 श्रीमती रूकमण जोजो फतेसिंह को लिख देता हूं कि मेरे खाते की जमीन 1/2 हिस्सा आज से तुम्हे वसीयत कर देता हूं। मेरे सोई दिन पुरे होने के बाद मेरे खाते की आधी जमीन को तुम अपने नाम करा लेना मैनें एक इकरार भी तुम्हारे हक में पहले लिख दिया है। मेरे मरण के बाद 1/2 हिस्सा तुम्हारे नाम करवा देना।

चूंकि वसीयत एवं इकरार जो वादिया के पक्ष में होकर वादियां के ससुर उदयसिंह के द्वारा वादियां को अपने खाते की आधी जमीन जरिये वसीयत दी गयी है। वसीयत को सही होना वादियां के गवाह उदयसिंह पिता भवानीसिंह राजपूत राव नि. रावमादडा ने अपने बयान में कहा है कि उदयसिंह ने एक स्टाम्प लिखा जो ई.एक्स.ए.–11 जिसकी ईबारत ए से बी मेरे द्वारा लिखी गयी जिस पर उदयसिंह के हस्ताक्षर है। मैनें इकरार उदयसिंह के कहने से लिखा है। यह रूकमण कंवर के पक्ष में लिखी है। थोडे दिनों बाद वसीयत भी की है जो करीब 1 माह बाद है। वसीयत भी मैनें ही लिखी है जो ई.एक्स.–12 है। वसीयत उदयसिंह के कहने से उसकी मां ने लिखवाई जिस पर उदयसिंह के हस्ताक्षर है। जहां तक वसीयत रजिस्टर्ड होने का सवाल है। वह आवश्यक नहीं है। वादियां ने जो रूलिंग पेश की है उसके अनुसार रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। वसीयत को वादियां के गवाहों के द्वारा प्रमाणित करवाया है। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से किसी गवाह को पेश नहीं किया है। केवल मौखिक ही वसीयत के बारे में कहां है लेकिन साक्ष्य के आधार पर उदयसिंह ने अपने खाते की आधी जमीन की वसीयत वादियां के पक्ष में निष्पादित की गयी है। इसके आधार पर ही वह घोषणा की दाद प्राप्त करने की अधिकारी बनती है। जब घोषणा की अधिकारी है तो उसे अपने खाते की भूमि का विभाजन कराने का अधिकार भी बनता है। ऐसी स्थिति में यह तनकी वादियां के पक्ष में निर्णित की जाती है।

इसी प्रकार अन्य तनकीयात का भी विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील होने पर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26–07–2004 में अंकित किया है। वाद बिन्दु सं0 1 वादिया को सर्वप्रथम यह साबित कराना था कि वादग्रस्त आराजी उदयसिंह के खाते की थी। इस सन्दर्भ में वादियां द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 की प्रस्तुत की है जिसमें वादपत्र के कॉलम सं0 5 में वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजी पूर्व में हाल अपीलांट के पिता व वादियां रेस्पो0 के ससुर उदयसिंह के नाम पर दर्ज है। अतः इस वाद बिन्दु का यह भाग तो दस्तावेजी साक्ष्यों से विधिवत् रूप से साबित है कि विवादित भूमि की खातेदारी पूर्व में उदयसिंह के खाते में दर्ज थी। अब इस वाद बिन्दु का अन्य भाग दिनांक 03–05–1979 व 30–04–1979 को वादियां रेस्पो0 के पक्ष में एक वसीयत लिखि जिसमें 1/2 हिस्सा वादियां रेस्पो0 को दिये जाने का उल्लेख किया। वादियां का सम्पूर्ण वाद इन्हीं दस्तावेजों पर आधारित है। जहां तक इकरारनामा दिनांक 30–04–1979 का प्रश्न है। यह इकरारनामा रजिस्टर्ड नहीं है और इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। इकरारनामे का यह अर्थ नहीं है। इकरारनामे के आधार पर उदयसिंह के जीवनकाल में 1/2 हिस्सा वादियां रेस्पो0 के नाम हो जाता, बल्कि यह तो एक अनुबंध था जो उदयसिंह वादिया के मध्य हुआ। अतः इसकी पालना सिर्फ उदयसिंह द्वारा ही करवायी जा सकती थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके इस इकरारनामे से उसका लड़का फतेसिंह पाबन्द नहीं है। क्योंकि यह इकरारनामा भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत एक अनुबंध मात्र है और ऐसे अनुबन्ध के आधार पर किसी तरह के अधिकारों का सृजन नहीं हो सकता है। अतः इसे साबित कराने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक वसीयत का प्रश्न है। इस सन्दर्भ में वसीयतनामें की फॉटोप्रति का अवलोकन किया जो दिनांक 03–05–1979 की है। यह वसीयतनामा और इकरारनामा सही नहीं है। इस वसीयत पर साक्ष्य देने वालों में भैरा व पैमा डांगी को उसने गवाह के रूप में पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में इस वसीयत को सही नहीं माना जा सकता है। अतः यह वाद बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया के पक्ष में निर्णित किया है जिससे यह न्यायालय सहमत नहीं है और यह वाद बिन्दु विरूद्ध वादिया निर्णित

किया जाता है। इसी प्रकार अन्य वाद बिन्दू विवेचित कर अपील स्वीकार कर विद्वान उपजिला कलक्टर, गिर्वा का निर्णय दिनांक 28–10–2003 निरस्त किया है।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में मुख्य बिन्दु इकरारनामा दिनांक 30–04–1979 व वसीयत दिनांक 03–05–1979 है। विद्वान उपजिला कलक्टर ने अपने निर्णय में इकरारनामा के संबंध में विस्तृत परीक्षण व विवेचन नहीं किया है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में लिखा है कि इकरारनामा रजिस्टर्ड नहीं है और इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। यह तो एक अनुबन्ध मात्र था जो उदयसिंह व वादिया के मध्य हुआ था। अतः इसकी पालना सिर्फ उदयसिंह द्वारा करवाई जा सकती थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके इस इकरारनामे से उसका लड़का फतेहसिंह पाबन्द नहीं है।

11– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह नहीं देखा कि क्या इकरारनामा कौटुम्बिक समझौता (Family settlement) की श्रेणी में आता है या नहीं। कौटुम्बिक समझौता के आवश्यक तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए इकरारनामा की वैधता पर और इसके आधार पर अधिकारों के सृजन के संबंध में पूर्ण निष्कर्ष पारित किया जाना चाहिए था।

12– जहां तक वसीयत का प्रश्न है विद्वान उपजिला कलक्टर ने लिखा है कि वसीयत रजिस्टर्ड होने का सवाल है वह आवश्यक नहीं है तथा वसीयत को प्रमाणित माना है जबकि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अंकित किया है कि वसीयत पर साक्ष्य देने वाले किसी भी व्यक्ति को वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को साबित कराने के लिए प्रमाण नहीं दिया है। वसीयतनामा और इकरारनामा सही नहीं माना जा सकता है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने वादिया के बयान को सही नहीं मानते हुए लिखा है कि वसीयत पर साक्ष्य देने वालों में भैराजी व पैमाजी डांगी को गवाह के रूप में पेश नहीं किया।

विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी का उक्त निष्कर्ष समुचित कारण व तर्क पर आधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी को पत्रावली को पुनः उभयपक्षों की साक्ष्य सुनवाई हेतु विद्वान उपजिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। इसी स्थिति में दोनों न्यायालयों के निर्णय विधिसंगत व उचित नहीं हैं।

जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली को पुनः साक्ष्य सुनवाई हेतु विद्वान उपजिला कलक्टर, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

13– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2004 व विद्वान उपजिला कलक्टर, गिर्वा का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2003 निरस्त की जाती हैं। तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ विद्वान उपजिला कलक्टर, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इकरारनामा व वसीयत की वैद्यता पर पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

14– योग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं व विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत उद्धरण प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते हैं।

15– उभयपक्ष को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे न्यायालय विद्वान उपजिला कलक्टर, गिर्वा में दिनांक 14–12–2023 को उपस्थित हो।

16– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य